बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 103 / 2019– 30

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 09/01/2020

विषय – नार्वाड योजनान्तर्गत विशुनपुर (गिरियक)–चकिया घोड़ा कटोरा पथांश के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.3260 हे० वन भूमि का "कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

नार्वाड योजनान्तर्गत विशुनपुर (गिरियक)–चकिया घोड़ा कटोरा पथांश के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.3260 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर का प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	नलंदा	0.3260	0
	कुल	**0.3260**	**0**

3. प्रस्तावित पथाश का निर्माण घोड़ा–कटोरा सुरक्षित वन भूमि में होना है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या F/LA/12/83-3266 दिनांक 02.09.1983 द्वारा अधिसूचित है। **इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.3260 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा एवं वन संरक्षक, पटना द्वारा किया गया है।** वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

फोन नं० 08986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

4 इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.1 प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तावित पथांश को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रर्दशित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। नियमतः वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन नियामावली 2003 के आलोक में District Collector को FRA, 2006 certificate देने संबंधी कार्रवाई Stage-I की स्वीकृति के पूर्व निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न कर लेनी चाहिए तथा वन संरक्षक को FRA, 2006 certificate उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार नियमावली 2003 के अनुसार Stage-I (in-principle Approval) के पूर्व की Time-line में District Collector के द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का प्रावधान तथा मंत्रालय के पत्र द्वारा यथा वर्णित Stage-I (in-principle Approval) के बाद लगायी गई शर्तों के अनुपालन के समय–सीमा में जिला पदाधिकारी द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का निर्देश, विरोधाभासी प्रतीत होता है। फिर भी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

6. वन प्रंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.3260 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,04,076/– (रूपये दो लाख चार हजार छियतहर) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. यद्धपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी दर पर राशि देय होगी (रू० 7,21,553/–)।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

09.1.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com